आवश्यक / महत्वपूर्ण

कार्यालय नियंत्रक
गो0 ब0 पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर
जिला – ऊधमसिंह नगर

पत्रांक : वि0नि0 / आयकर / 779 / 1758 दिनांक: फरवरी 19, 2025

समस्त अधिष्ठता / निदेशक / विभागाध्यक्ष।

अवगत कराना है कि आयकर विभाग द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 200 (3) में संशोधन करते हुए कटौतीकर्ता / संग्रहकर्ता द्वारा सुधार विवरण / संशोधित त्रैमासिक रिटर्न दाखिल किये जाने की समयसीमा, वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छः वर्ष तक निर्धारित की गयी है तथा वित्तीय वर्ष 2007–08 से 2018–19 तक के सुधार विवरण / संशोधित त्रैमासिक रिटर्न स्वीकार करने की अंतिम तिथि 31.03.2025 है।

उपर्युक्त के क्रम अपने महाविद्यालय / विभाग से सम्बंधित किसी कार्मिक के पूर्व वित्तीय वर्षो में स्रोत पर की गयी आयकर कटौती (TDS), सम्बंधित के पैन / 26AS में प्रदर्शित नहीं हो रही हो तो ऐसे प्रकरण समस्त साक्ष्य सहित (सम्बंधित वर्ष का आयकर विवरणी एवं फार्म–16) दिनांक 15.03.2025 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिसके पश्चात् त्रुटियों में सुधार करते हुए वि0वि0 का सुधार विवरण / संशोधित त्रैमासिक रिटर्न दाखिल किया जायेगा। आयकर विभाग द्वारा उपरोक्त निर्धारित तिथि के पश्चात् पूर्व वित्तीय वर्षो के त्रुटियों में सुधार किया जाना सम्भव नहीं होगा एवं भविष्य में आयकर विभाग द्वारा कोई भी कर / ब्याज / अर्थदण्ड आरोपित किये जाने की दशा में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बंधित कार्मिक का होगा।

अतः उपर्युक्तानुसार अपने महाविद्यालय / विभाग के सभी शिक्षकों / अधिकारियों / कर्मचारियों को अपने स्तर से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

नियंत्रक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त लेखाधिकारी।
2. समस्त उप नियंत्रक।
3. प्रोग्रामर, नियंत्रक कार्यालय, IFMS को यह पत्र अपलोड करने के आशय से प्रेषित।
4. प्रभारी अधिकारी, वि0वि0 वेबसाइट, प्रौ0 महाविद्यालय, को इस पत्र को वि0वि0 वेबसाइट पर अपलोड करने के आशय से प्रेषित।
5. कुलपति जी के निजी सचिव को कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।

19/02/2025
नियंत्रक